न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 79/2018

1. सुरेन्द्र सिह पुत्र हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी 52जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. पिन्द्रपाल कौर पत्नि परमपाल सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
2. गुरकीरत सिह पुत्र परमपाल सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
3. संदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोडा निवासी कालिया तहसील श्री गंगानगर।
4. दविन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
5. डिम्पल पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
6. पवनदीप सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीए

--निर्णय-- **दिनांक : 23.12.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7809 दिनांक 03.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे तो वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 48/25 के मु.न. 31,41,44 की कुल 5.224 हैक्टर नहरी भूमि, इसी चक के खाता संख्या 15/21 के मु.न.41,44,51/16 की कुल 2.909 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते हैः-

1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला का हिस्साः

चक 49 जीजीए के मु.न. 41 के किला न. 15/2 के 0.026 हैक्टर नहरी (उत्तर) एवं मु.न. 44 के किला न. 6 में 0.175 हैक्टर (दक्षिण) नहरी एवं किला न. 13,14 में 0.506 हैक्टर नहरी भूमि कुल 0.707 हैक्टर नहरी।

2. संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोडा निवासी कालिया का हिस्साः

चक 49 जीजीए के मु.न. 31 के किला न. 21 ता 25 की 1.239 हैक्टर नहरी भूमि । **इन दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर** रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प डयुटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इसी आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.23 15:05:31 IST
Reason: SelfAttested